न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–90 / 2023 दायरा दिनांक 28.07.2023

GCMS CASE NO-2023/90

1. भागीरथ पुत्र स्व. श्री लेखाम जाति जाट साकिन 4 केएसआर (श्योपुरा), तहसील सूरतगढ़
–निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 4 केएसआर (श्योपुरा) पंचायत समिति सूरतगढ़
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत 4 केएसआर पंचायत समिति सूरतगढ़
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरतगढ़
4. देवीलाल पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन चक 4 केएसआर तहसील सूरतगढ़
––गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री राजवीर भादू , अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 4

–:: निर्णय ::– दिनांक : 18 .11.2024

निगरानीकर्ता ने जरिये निगरानी निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत चक 4 केएसआर की पुरानी पंचायत 8 एसएचपीडी ए द्वारा पट्टा संख्या 5 बुक संख्या 13 जारी दिनांक 20.11.2010 मुझ निगरानीकर्ता के नाम से जारीशुदा है जिसकी लम्बाई–चौडाई उत्तर –दक्षिण में 40 फुट तथा पूर्व–पश्चिम में 60 फुट है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने मुझ निगरानीकर्ता के भूखण्ड़ की पूर्व व पश्चिम की दीवार की लंबाई 40 फुट मानकर ,उत्तर व दक्षिण की दीवार की लम्बाई 60 फुट मानकर, पूर्व व पश्चिम की तरफ 20–20 फुट अतिक्रमण मानकर प्रार्थी के पट्टैशुदा भूखण्ड़ में किये गये निर्माण को अतिक्रमण मानकर हटाने का नोटिस जारी किया गया है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड़ पर पट्टानुसार ही निर्माण किया हुआ है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के रिहायशी भूखण्ड़ की लम्बाई चौडाई निम्नानुसार यानी पूर्व तथा पश्चिम की दीवारी की लम्बाई 60 फुट के स्थान पर 40 फुट मानकर इस 20 फुट चौडाई के प्लाट को रास्ता आम मानने की भारी कानूनी भूल की है। निगरानीकर्ता का निर्माण पट्टा अनुसार ही है। ग्राम पंचायत में इस आबादी का प्रथम नक्शा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहां से कभी भी गली नहीं चली। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने अपने ही कयासों के आधार पर निगरानीकर्ता के रिहायशी भूखण्ड़ के दक्षिणी पासा की तरफ रास्ता आम मान लिया। जैर निगरानी नोटिस जारी कर दिया जो प्रथम दृष्टाया निरस्ती योग्य है। नोटिस जारी करने से पूर्व पट्टा व मौका पर कब्जा व निर्माण की पैमाईश ही नहीं की है जबकि प्रार्थी के भूखण्ड़ में प्रार्थी के निर्माण को विधि विरूद्व तरीके से अतिक्रमण मानते हुए इसके हटाने हेतु नोटिस जारी कर दिया। निगरानीकर्ता का उक्त पट्टा नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए फीस जमा करने के उपरांत ही जारी किया गया है। प्रार्थी के उक्त भूखण्ड़ पर चार कमरे रसोई, शौचालय, स्नान घर बने हुए है। दक्षिणी पासा मे पशुओ का ढाण व तुडी का कमरा तथा पिछले 25–30 वर्षो से पशुओं की छाव के लिए नीम का पेड लगाया हुआ है।इस प्रकार जब प्रार्थी ने अतिक्रमण किया ही नही है तो उसके विरूद्व जारी नोटिस निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरनिगरानीकर्ता को तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा उपस्थि[illegible] गैरनिगरानीकर्ता [illegible] देवीलाल की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर आये। बहस उभय पक्ष स[illegible]

वकील निगरानीकर्ता ने दौरा[illegible] [illegible] में अंकित तथ्य एवं निगरानी साबित करने वाले तथ्य ही मे[illegible] है।

वकील गैरनिगरानीकर्ता संख्[illegible] [illegible] निगरानीकर्ता द्वारा आवासीय पट्टै को आधार बनाकर गै[illegible] भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। निगरानीकर्ता का उक्त पट्टा उत्तर–दक्षिण में 60–60 फुट व पूर्व व पश्चिम में 40–40 फुट का है। जबकि निगरानीकर्ता द्वारा दक्षिण दिशा का रास्ता जो पूर्व से पश्चिम 20 फुट चौडा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

व वर्तमान में निगरानीकर्ता 60 गुणा 60 पर काबिज है जो अवैध है। निगरानीकर्ता अपने पट्टै से अधिक भूमि पर काबिज है। इसलिए निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करते हुए आम रास्ता की भूमि को खाली करवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया जिससे पाया कि ग्राम पंचायत 4 केएसआर द्वारा दिनांक 27.07.2023 को पांच कार्य दिवस में अतिक्रमण हटाने बाबत अन्तिम नोटिस जारी कि गया था, जिसके विरूद्व यह निगरानी पेश हुई है। पत्रावली में उपलब्ध पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से पाया कि दिशा के माप अनुसार उत्तर–दक्षिण 60–60 फुट व पूर्व व पश्चिम 40–40 फुट दर्ज है तथा पट्टै में दर्ज नक्शा मुताबिक उत्तर–दक्षिण 40–40 फुट पूर्व–पश्चिम 60–60 फुट दर्शित किया गया है। उक्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत 4 केएसआर को इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि निगरानकर्ता के पट्टा तथा ग्राम पंचायत की भौतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं उभय पक्ष को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.12.20 11:21:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner